फाइल संख्या-71-1006(001)/32/2021

141/2021/I/116736/2021

प्रेषक,

एस0 पी0 सिंह,
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ :दिनॉक 25 नवम्बर, 2021

विषयः- वित्तीय वर्ष 2021-22 में राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़ में उपकरणों के क्रय हेतु मानक मद-26-मशीने और सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र मद में स्वीकृत धनराशि से उपकरणों के क्रय हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति संबंधी शासनादेश दिनॉक 23.11.2021 में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-138/2021/I/115835/2021-71-1006(001)/32/2021, दिनॉक 23.11.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़ में उपकरणों के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत मानक मद-26-"मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र" मद में प्राविधानित धनराशि रू0 200.00 लाख के सापेक्ष रू0 1,38,50,000/- (रू0 एक करोड़ अड़तीस लाख पचास हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

2- इस संबंध में अवगत कराना है कि उपर्युक्त शासनादेश दिनॉक 23.11.2021 के प्रस्तर-1 में उल्लिखित धनराशि रू0 1,38,49,000 /- (रू0 एक करोड़ अड़तीस लाख उनचास हजार मात्र) के स्थान पर त्रुटिवश रू0 1,38,50,000/- (रू0 एक करोड़ अड़तीस लाख पचास हजार मात्र) का उल्लेख हो गया है।

3- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्तशासनादेश दिनॉक 23.11.2021 के प्रस्तर-1 में उल्लिखित धनराशि रू0 1,38,50,000/- (रू0 एक करोड़ अड़तीस लाख पचास हजार मात्र) के स्थान पर रू0 1,38,49,000 /- (रू0 एक करोड़ अड़तीस लाख उनचास हजार मात्र) पढ़ा/समझा जाये।

4- शासनादेश संख्या-138/2021/I/115835/2021-71-1006(001)/32/2021, दिनॉक 23.11.2021 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये। शेष शर्ते यथावत् रहेंगी।

भवदीय

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव

संख्याः-उपरोक्त तथदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, आजमगढ़।
4- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, आजमगढ़।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, आजमगढ़।
6- श्री कुलदीप कुमार रस्तोगी, संयुक्त सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
7- नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2,
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in